न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़ी जिला – धौलपुर

पदासीन अधिकारी – श्री भगवत शरण त्यागी (आर0ए0एस0)

उनवानी

विष्णु कुमार बनाम कुमारी बेबी

1. विष्णु कुमार गर्ग उम्र 48 वर्ष पुत्र नारायन दास जाति वैश्य निवासी ऊमरी तहसील बाड़ी हाल सी–61ए शारदा पुरी, दूसरा माला, रमेश नगर दिल्ली पश्चिम, दिल्ली

प्रार्थी :–

बनाम

1. कुमारी बेबी पुत्री नारायण दास जाति वैश्य निवासी ऊमरी तहसील बाड़ी जिला धौलपुर.
2. गोपाल दास पुत्र नारायण दास जाति वैश्य निवासी ऊमरी तहसील बाड़ी जिला धौलपुर
3. राजू पुत्र नारायण दास जाति वैश्य निवासी ऊमरी तहसील बाड़ी जिला धौलपुर राज.
4. शंकर लाल पुत्र नारायण दास जाति वैश्य निवासी ऊमरी तहसील बाड़ी जिला धौलपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़ी

अप्रार्थीगण :–

उपस्थित प्रार्थी के वकील – श्री जयसिंह मीना एड०
उपस्थित अप्रार्थी के वकील – पैरोकार सरकार तहसीलदार बाडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

दिनांक :– 21.07.2025

प्रकरण सं0 :– 23/2025

आदेश

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 107 रकवा 0.2782 हैक्टे0, 824/113 रकवा 0.4173 हैक्टे0, 826/193 रकवा 0.1012 हैक्टे, व 828/210 रकवा 0.0759 हैक्टे0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.8726 हैक्टे0 आराजी खाता संख्या 285 बांके उमरी, कस्बा बाड़ी नं.2 तहसील बाड़ी में स्थित हैं। जिसमें वादी मुताबिक जमाबंदी 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा इसी हैसियत से मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विष्णु कुमार गर्ग काफी समय पहले ही बालिग हो चुका है। अब वह नाबालिग नहीं है, उसे बालिग माना जावे। प्रार्थी का वास्तविक नाम विष्णु कुमार गर्ग है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद दाखिला खारिजी में विष्णु कुमार गर्ग के बजाय गोपीचन्द हो गया है। प्रार्थी विष्णु कुमार गर्ग साहिबे जायदाद है और गाँव में ही रह रहे है। प्रार्थी के आधार कार्ड, भामाशाह, बैंक पासबुक व अन्य सभी कागजात विष्णु कुमार गर्ग के नाम से है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात दाखिला खारिज खोला गया तो गाँव मे नाबालिग गोपीचन्द के नाम से नाम बता दिया, जिससे दाखिला खारिज गोपीचन्द दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के सभी कागजात विष्णु कुमार गर्ग के नाम के है और यही प्रार्थी का वास्तविक नाम है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि :–

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी जिला–धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का नाम गोपीचन्द की बजाय विष्णु कुमार गर्ग का नाम अंकित किया जावें तथा गोपीचन्द के नाम की शुद्धि कर विष्णु कुमार गर्ग किया जावें।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाडी द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थना में अंकित तथ्य को स्वीकार करते हुए अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का करेरुआ के नामान्तकरण सं0 111 दिनांक 26.05.1981 से नारायानदास की मृत्यु के पश्चात विरासत से नाबा0 गोपीचन्द पुत्र नारायनदास सरपरस्ती मां रामकटोरी बांके ग्राम उमरी में दर्ज हुआ था। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि विष्णु कुमार गर्ग को गोपीचन्द के नाम से भी पुकारते हैं। मुताबिक आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशनकार्ड, पैनकार्ड आदि में विष्णुकुमार गर्ग नाम दर्ज है। गोपीचन्द एवं विष्णुकुमार गर्ग एक ही व्यक्ति है, ग्राम में उक्त नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। अतः ग्राम उमरी की जमाबन्दी सं. 2076–79 के खाता सं0 285 में गोपीचन्द पुत्र नारायनदास के स्थान पर विष्णुकुमार गर्ग पुत्र नारायनदास शुद्ध किया जाना उचित है।

तत्पश्चात बहस प्रार्थी के वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट पर सुनी गई। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार बाडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात यह तथ्य जाहिर हुआ कि प्रार्थी द्वारा जो तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये है, वह सही है। सहवन की गलती से खाता संख्या 285 के आराजी खसरा नम्बर 107 रकवा 0.2782 हैक्टे0, 824/113 रकवा 0.4173 हैक्टे0, 826/193 रकवा 0.1012 हैक्टे, व 828/210 रकवा 0.0759 हैक्टे0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.8726 हैक्टे0 आराजी खाता संख्या 285 बांके उमरी तहसील बाड़ी में विष्णुकुमार गर्ग के स्थान पर गोपीचन्द दर्ज हो गया है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बाडी विष्णुकुमार गर्ग व गोपीचन्द एक ही व्यक्ति है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम विष्णुकुमार गर्ग पुत्र नारायनदास अंकित है। जिसे प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में शुद्ध कराये जाने का अधिकारी पाया जाता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 285 के आराजी खसरा नम्बर 107 रकवा 0.2782 हैक्टे0, 824/113 रकवा 0.4173 हैक्टे0, 826/193 रकवा 0.1012 हैक्टे, व 828/210 रकवा 0.0759 हैक्टे0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.8726 हैक्टे0 आराजी खाता संख्या 285 बांके उमरी तहसील बाड़ी में गोपीचन्द पुत्र नारायनदास के स्थान पर गोपीचन्द उर्फ विष्णुकुमार गर्ग पुत्र नारायनदास मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी बालिग के रूप में सही दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान जाते है। पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि दर्ज किये जाने हेतु परवाना तहसीलदार बाडी को जारी हो। पत्रावली बाद तकमीलन दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (जिला–धौलपुर)

Scanned with OKEN Scanner